Jheku th,y vkje **05 vDVwcj] 2017**
ekuuh; dScuV eU=h
tutkrh; dk;Z eU=ky;] Hkkjr ljdkj
'kkL=h Hkou] ubZ fnYyh&110001-

विषयः **jktLFkku ds vyoj fLFkr lfjLdk ck?k ifj;kstuk {ks= esa ou lalk/kuksa ij vf/kdkj ls LFkkuh; lenk;ksa dks tku&cw> dj ofpr djuk vkSj mudh tcju csn[kyh ¿ßvuqlwfpr tkfr ,oa vU; ijEijkxr ou fuoklh ¼ou vf/kdkjksa dh igpku½ vf/kfu;e] 2006Þ ¼ou vf/kdkj vf/kfu;e] 2006½À dh iw'kZlu }kjk vuqikyuk u fd;s tkus ds lUnHkZ esaA**

egksn;]

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान राज्य में सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में 'स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास' को दरअसल 'जबरन बेदख़ली योजना' के तौर पर क्रियान्वित किया जा रहा है एवं पुनर्वास की प्रक्रिया में निर्धारित वन अधिकार अधिनियम, 2006 की अनुपालना शासन एवं प्रशासन द्वारा विधिसम्मत रूप में नहीं की जा रही है।

हम इस सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:–

1- lfjLdk ck?k ifj;kstuk {ks= esa ck?kksa dk vpkud foyqIr gks tkuk & सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र 2004 में तब चर्चा में आया जब यह मालूम हुआ कि जंगल में बाघ बचे ही नहीं हैं।[1] इसके बाद जो हंगामा मचा, उसमें, हमेशा की तरह, स्थानीय समुदाय को बाघ के ख़ात्मे का दोषी ठहराया गया। 1955 से लेकर पचास वर्षों तक संरक्षण के प्रयासों के बावजूद 2004 में सरिस्का क्षेत्र में एक भी बाघ नहीं बचा। ऐसा माना जाता है कि बाघ तो 2004 के पहले ही समाप्त हो गए थे, लेकिन अधिकारी बाघों की संख्या के बारे में ग़लत सूचनायें देते रहे। आख़िरकार, जब तथ्यों को छुपाना सम्भव नहीं हुआ तो सारा इल्ज़ाम जंगल में रहने वाले समुदायों पर डाल दिया गया और उन्हें अवैध शिकारियों का मददगार और सहायक बता दिया गया। सरिस्का प्रोजेक्ट प्रबन्धन की असफलता व उसके कारण पारिस्थितिकी को हुए नुकसान का आंकलन कभी नहीं किया गया।

2- Økfrd Ckk?k vkokl vuqlwph ?kksf"kr {ks= dks fpfàr djuk ,oa mlesa vofLFkr xkaoksa dk iquokZl djuk & सरिस्का से बाघों के विलुप्त हो जाने की घटना के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) के निर्देशानुसार सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र के कोर एरिया को दिसम्बर, 2007 में 'क्रॉंतिक बाघ आवास' (क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट–सी.टी.एच.) घोषित कर दिया गया। वर्ष 2008 में एन.टी.सी.ए. द्वारा तैयार पुनर्वास योजना के अन्तर्गत सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट में स्थित 29 गाँव भी शामिल थे। चरणबद्ध योजना में वर्ष 2021–22 तक सभी गाँवों का पुनर्वास पूर्ण करने का लक्ष्य है।

3- ou vf/kdkj vf/kfu;e 2006 ,oa xkaoksa ds iquokZl dh izfØ;k esa bldk ikyu & इसी कालखण्ड में वन अधिकार अधिनियम भी लागू हुआ, जिसके अनुच्छेद 4(2) (क से च) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्यों के क्रॉंतिक वन्य जीव आवास के कारण मान्यता प्राप्त वन

[1] www.earthcarefilms.com/images/filming_tiger_crisis/.../Sariska.pdf, Ghazala Shahbuddin

अधिकारों को परिवर्तित करने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। गाँव के पुनर्वास से पूर्व अधिकारों की पहचान/बन्दोबस्त के सम्बन्ध में एन.टी.सी.ए. के दिशा–निर्देशों के अनुसार वन अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 6 की अनुपालना ज़रूरी है। वन अधिकार अधिनियम के तहत् वन अधिकारों को निहित करने की त्रि–स्तरीय प्रक्रिया है, जो कि ग्राम सभा और एस.डी.एल.सी. के स्तर पर क्रमशः दावे को तैयार करने एवं उसके सत्यापन की प्रक्रिया एवं तीसरे व अन्तिम स्तर पर डी.एल.सी. द्वारा वन अधिकारों के रिकॉर्ड की स्वीकृति के साथ पूर्ण होती है। वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 'स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास योजना' में, पुनर्वास से पहले, ग्राम सभा द्वारा पुनर्वास योजना एवं वन अधिकारों के बन्दोबस्त की लिखित स्वीकृति आवश्यक है।

4- xk¡o ds iquokZl ds lEcU/k esa jk"Vªh; ck?k laj{k.k izkf/kdj.k ¼,u-Vh-lh-,-½ ds izko/kku ,oa ou vf/kdkj vf/kfu;e dk ikyu & क्रांतिक बाघ आवास क्षेत्र से पुनर्वास के लिए गाँव के चयन के मानदण्ड में निम्नलिखित तथ्यों को देखना विहित किया गया है – **¼i½** कोर एरिया या प्रस्तावित कोर एरिया पर गाँव के प्रभाव का परिमाण; **¼ii½**लोगों की स्वेच्छा एवं **¼iii½** पुनर्वास स्थल की उपलब्धता।

एन.टी.सी.ए. द्वारा निर्धारित पुनर्वास पैकेज दो विकल्प देता है –विकल्प–1 : पुनर्वास की प्रक्रिया के बग़ैर सम्पूर्ण पैकेज की राशि रु. 10 लाख प्रति परिवार का भुगतान, या विकल्प–2: प्रति परिवार रु. 10 लाख का पुनर्स्थापन/पुनर्वास पैकेज। विकल्प– 2 कि स्थिति में पुनर्वास पैकेज को पांच भागों में बांटा गया है (कुल पैकेज को पाँच श्रेणियों में प्रतिशत में समेकित करते हुए) – कृषि भूमि (2 हैक्टर) की ख़रीद एवं उसका विकास (35 प्रतिशत), **vf/kdkjksa dk cUnkcLr ¼30 izfr'kr½**, आबादी भूमि एवं आवास निर्माण (20 प्रतिशत), प्रोत्साहन राषि (5 प्रतिशत) तथा सामुदायिक सुविधायें (10 प्रतिशत)।

वर्ष 2011 में एन.टी.सी.ए. ने टाईगर रिज़र्व के अधिसूचित कोर/क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट में स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास के लिए प्रोटोकॉल/दिशा–निर्देश जारी किए।[2] इन दिशा–निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पुनर्वास के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी कानूनी प्रक्रियायें पूरी की जायें, तथा वन में निवास करने वालों के अधिकारों का सम्मान किया जाये और उनके अधिकारों को स्वीकारने एवं निर्धारित करने की प्रक्रिया बाघों व उनके आवास के संरक्षण और सुरक्षा की प्रक्रिया के साथ–ही–साथ पूरी की जाये।

एन.टी.सी.ए. के दिशा–निर्देशों में टाईगर रिज़र्व में कोर/क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट की पहचान/अधिसूचित करने हेतु दिशा–निर्देश तथा गाँवों के पुनर्वास के लिए विभिन्न चरणों में उठाए जाने वाले कदमों व दस्तावेज़ों की सूची भी शामिल है। द्वितीय चरण (अनुल्लंघनीय कोर/क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट को स्थापित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों से परिवारों/गाँवों का पुनर्वास) में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 4 व 6 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 38V(5) की पालना अपेक्षित है।

दिशा–निर्देशों में दिए गए प्रावधान (बिन्दु 6.1.1 – अधिकारों की पहचान/बन्दोबस्त) पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान लोगों के अधिकारों को जानने और प्रदान करने के लिए वन अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 6(i) की अनुपालना हेतु अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। इसके तहत् वन अधिकार अधिनियम में निर्धारित उप–खण्ड स्तरीय समिति (एस.डी.एल.सी.), ज़िला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) व राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन करने के प्रावधानों की अनुपालना करना शामिल है।

---

[2] अ एन.न. 15–4/2010–एन.टी.सी.ए. (भाग–III) केन्द्र द्वारा पोषित प्रोजेक्ट टाईगर के नए अंशों से सम्बन्धित अतिरिक्त दिशा–निर्देश, वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय, भारत सरकार, एन.टी.सी.ए., दिनांक 28 नवम्बर 2011।

5- lfjLdk ck?k ljf{kr {k= l xkok dk foLFkkiu gh vf/kdkfj;k dk ,d ek= y{; &

सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र के भीतर और आस–पास करीब 175 गाँव हैं। इनमें से 29 गाँव[3] क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट में हैं जिनमें 2409 परिवार बसे हैं; चरणबद्ध योजना[4] के अनुसार 2021–22 तक क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट से सभी गाँवों का पुनर्वास कर दिया जाना है। कोर ज़ोन–1 में आने वाले 11 गाँवों को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास के लिए चुना गया है; इनमें 493 घर हैं। प्राथमिकता के आधार पर चयनित 11 गाँवों में काँकवाड़ी, हरिपुरा, भगानी, डाबली, देवरी, किरास्का, कुण्डालका, राईकामाला, सुकोला, उमरी व लीलुण्डा शामिल हैं।

क्या मात्र क्रांतिक बाघ आवास/कोर ऐरिया से ही लोगों को विस्थापित करने से बाघों का संरक्षण हो जाएगा, जब बफर ऐरिया में उनसे कहीं अधिक गांव मौजूद हैं और टाईगर रिजर्व की सीमा से लगे और भी अधिक मानव आबादी क्षेत्र मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त कोर जोन से लगे हुए एवं बफर जोन में फैले हुए 7 दर्जन से अधिक छोटे–बडे खनन क्षेत्र मौजूद हैं[5]।

6- xke lHkk d e'kfoj dh vun[kh] eueku fu.k; yuk

6-1 dkfrd ck?k vkokl dh eueku ?kks"k.kk

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 एवं वन अधिकार अधिनियम, 2006 ने क्रिटिकल बाघ/वन्य जीव आवासों से समुदायों से पुनर्वास की प्रक्रिया के बारे में और विस्थापन से पहले ही उनके अधिकारों के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय अनिवार्य सुधार किए। किन्तु एन.टी.सी.ए. द्वारा प्रस्तावित सभी वैधानिक प्रक्रियाओं के बावजूद राज्य सरकार ने उनकी अनुपालना की चिन्ता किए बग़ैर मनमाने ढंग से क्रिटिकल बाघ आवास की निशानदेही की और लोगों को वे स्थान ख़ाली करने को कह दिया। किसी भी तथ्य को देखकर यह नहीं लगता कि क्रांतिक बाघ आवास की घोषणा करने में आम जन के साथ कोई राय–मशविरा किया गया हो। इसके बजाय गाँववासियों को सीधे ही पुनर्वास पैकेज के तहत् दो विकल्प दिए गए और एक अन्तिम तिथि दे दी गई जिसके भीतर उन्हें एक विकल्प को चुनना है अन्यथा इस तिथि के बाद उन्हें किसी विकल्प के लिए कोई समय नहीं दिया जायेगा और उनके लिए एकमुश्त रु.10 लाख का विकल्प–1 स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाएगा और उन्हें हटा दिया जाएगा। पुनर्वास के लिए ग्राम सभा के साथ मशविरा किये बगैर अधिकारियों ने नतीजा निकाल लिया कि सह–अस्तित्व के विकल्प मौजूद ही नहीं है।

6-2 iquokZl d fy, lgefr ¼ou vf/kdkj vf/kfu;e] 2006 d rgr½ & xke lHkk l ;k 0;fDr l\

आधिकारिक रूप से ऐसा बताया जाता है कि पुनर्वास के लिए गाँवों की सहमति उनकी सम्बन्धित ग्राम सभा से ली गई है। जबकि अधिकारियों ने दोनों प्रकार से, ग्राम सभा एवं व्यक्तिगत सहमति को पुनर्वास योजना के लिए स्वीकृति के तौर पर स्वीकार किया है।

समुदाय में असहमति होने की दशा में अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा को नज़रअंदाज़ करने की पुष्टि 10 गाँवों के पुनर्वास के लिए प्राप्त सहमति के आधिकारिक दस्तावेज़ से होती है। उदाहराणर्थ सरिस्का बाघ संरक्षण योजना (2014–15 से 2023–24) में दी गई जानकारी के अनुसार दिसम्बर, 2014 तक गाँवों के पुनर्वास की प्रकिया में 9 गांवों के 954 परिवारों का पुनर्वास बताया गया जिनमें से 447 परिवारों के द्वारा

---

[3] अनुलग्नक–1 देखें।

[4] अनुलग्नक–2 देखें।

[5] सरिस्का बाघ संरक्षण योजना (2014–15 से 2023–24) में दी गई जानकारी के अनुसार

पुनर्वास पैकेज के विकल्प–1 को स्वीकारना बताया जबकि मात्र 194 परिवारों के द्वारा विकल्प–2 को स्वीकारना बताया एवं 313 परिवारों की स्वीकृति षेष बताई गई थी।

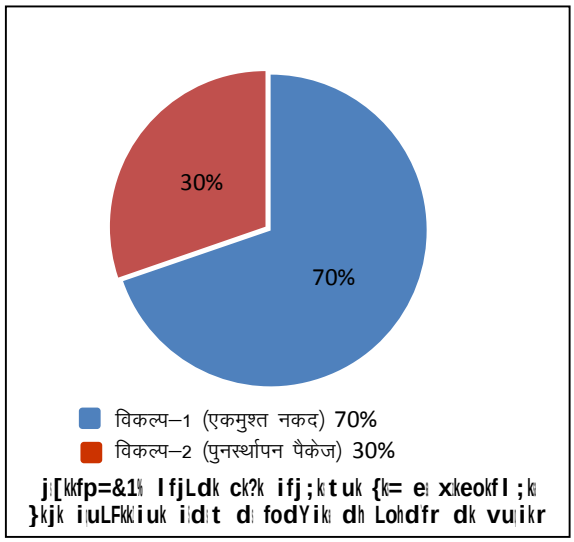

js[kkfp=&1% lfjLdk ck?k ifj;kstuk {ks= esa xkaeokfl;ksa }kjk iqulFkkZiu iSdst ds fodYiksa dh Lohdfr dk vuqikr

ग्राम सभा की सहमति तथा विकल्प–1 व विकल्प–2 के लिए दी गई सहमति के अनुपात के बारे में और अधिक आधिकारिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है; ऐसा लगता है कि विकल्प–2 में अधिकारों की मान्यता एवं बन्दोबस्त (कुल पैकेज का 30 प्रतिशत) की जटिल प्रक्रिया के मद्‌देनज़र इससे बचते हुए अधिकारियों ने ग्रामवासियों को व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित किया कि वे विकल्प–1 के तहत् एकमुश्त पैकेज स्वीकार कर लें (रेखाचित्र–1 देखें)।

6-3 vi;kZIr iSdst] iquokZfLr ;k fuokZfLr \

विकल्प–1 स्वीकारने वाले प्रत्येक परिवार को समान राशि रू. 10 लाख देना न्यायसंगत नहीं है जबकि उनकी वर्तमान चल–अचल सम्पत्तियों का अनुपात अलग–अलग है। इसके अतिरिक्त नए स्थान के बारे में जो वादे किए गए थे वे भी पूरे नहीं किए गए हैं। उदाहरण के लिए पुनर्वासन में सबसे पहले चुनी गई बर्डोद रूंध में आज तक सडकें, नालीयां, सार्वजनिक पेयजल सुविधाएं, स्वच्छता, संचार, सामुदायिक केन्द्र, चारागाह, आंगनबाडी, चिकित्सा इत्यादि कोई भी सुविधा विकसित नहीं की गई है। इन सबसे अलावा वन संसाधनों तक पहुंच का कोई अवसर उपलब्ध नहीं रहा है।[6]

यदि पुनर्वास पैकेज में दी गई जमीन को खेती के लिए वैकल्पिक आजीविका के रूप में बताया जा रहा है तो यह गलत होगा क्योंकि वन संसाधनों पर आश्रित पशुपालन जैसी सरल आजीविका की बजाय खेती जैसी धन, श्रम पर निर्भर एवं अनिश्चित उपज वाली वैकल्पिक आजीविका को अपनाना अधिकांश परिवारों के लिए संभव नहीं है।

7- xkao ds iquokZl ,oa vf/kdkjksa dk ekU;rk nsus esa ou vf/kdkj vf/kfu;e ds izko/kkuksa dk mYya?ku & वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 4 के प्रावधान वन अधिकारों एवं सम्बन्धित मामलों की मान्यता, बहाली और निहित करने के संदर्भ में हैं तथा अनुच्छेद 6 के प्रावधान वन अधिकारों को निहित करने के प्राधिकार एवं प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। गाँवों के पुनर्वास में इन दोनों ही अनुच्छेदों को जान–बूझ कर दरकिनार किया गया तथा अधिकारियों ने गाँवों के पुनर्वास में ‘अपनी प्रक्रियाओं’ पर ही ज़ोर दिया। यदि गाँवों का हस्तान्तरण वन अधिकार अधिनियम की पालना में होता, तो ज़िले में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को रिपोर्ट किया गया होता, जैसा कि प्रारम्भ से ही नहीं किया गया है।

7-1 cyiwoZd csn[kyh

गाँव के पुनर्वास के पूर्व अधिकारों की मान्यता/बन्दोबस्त के लिए वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की

[6] अनुलग्नक–3 देखें – **xkao ds iquokZl dh ;kstuk dk iz:i ¼,u-Vh-lh-,- ds fn'kk&funsZ'kksa ds vuqlkj½**

अनुपालना एन.टी.सी.ए. के दिशा–निर्देशों में अनिवार्य करने के पहले और बाद में भी कभी नहीं की गई। गाँववासियों को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी कभी दी ही नहीं गई तथा पुनर्वास के लिए सम्बन्धित ग्राम सभा की 'स्वतन्त्र सहमति' (वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप) कभी प्राप्त नहीं की गई। इसी प्रकार, अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया भी सही मायनों में नहीं हो पायी। क्रांतिक बाघ आवास और बफर–ज़ोन की मनमानी घोषणा करने के साथ–ही–साथ गाँव के पुनर्वास में ग्राम सभा की सहमति की प्रक्रिया को दरकिनार करना एवं व्यक्तिगत सहमति को विधिमान्य बनाना वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 4(2) (क से च) एवं अनुच्छेद 4(5) के साथ ही वर्ष 2012 के दिशा–निर्देशों (अधिनियम को लागू करने सम्बन्धी दिशा–निर्देशों की धारा–5) का पूर्णतया उल्लंघन है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकालता है कि हालाँकि एन.टी.सी.ए. ने पुनर्वास को 'स्वैच्छिक' रखा था किन्तु यह 'बलपूर्वक' ही किया जा रहा है।

7-2 ou vf/kdkj vf/kfu;e dk fØ;kUo;u u rk fd;k x;k vkj u gh nt gvk!

वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिए राज्य जनजातीय विभाग ज़िम्मेदार है किन्तु अलवर ज़िले में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर विभाग ख़ामोश है।

अब तक, अलवर समेत, राजस्थान के 17 ज़िलों में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है। हालाँकि एक ओर तो सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में बाघ के आवास के लिए चिह्नित कोर/क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट क्षेत्र से गाँवों के पुनर्वास की योजना में बताया गया है कि गाँवों के स्वैच्छिक पुनर्वास के तहत वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना में ग्राम सभा से सलाह और अधिकारों का बन्दोबस्त किया गया है, वहीं दूसरी ओर वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के दस्तावेज़ में अलवर को सम्मिलित नहीं करने में जनजातीय विभाग की भूमिका यह सन्देह उत्पन्न करती है कि क्या सरकार स्थानीय समुदायों को जंगल के संसाधनों पर उनका परम्परागत अधिकार देना भी चाहती है? टाईगर रिज़र्व से गाँवों के विस्थापन के अतिरिक्त अलवर ज़िले में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का कोई आधिकारिक ज़िक्र नहीं मिलता है।

शुरूआत से ही वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन के प्रगति प्रतिवेदन में अलवर ज़िले का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त, अलवर वन खण्ड की कार्ययोजना में ज़िले के रिकॉर्ड में वन अधिकार अधिनियम के तहत् कोई भी दावा नहीं होने का उल्लेख है।[7] सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र की बाघ संरक्षण योजना में भी वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है सिवाय इसके कि इस अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत् गाँवों के पुनर्वास का रास्ता तलाशा जाये।

7-3 ou vf/kdkj vf/kfu;e l lcf/kr lfefr;k dk xBu u fd;k tkuk & एन.टी.सी.ए. के दिशा–निर्देशों के अनुसार गाँव के पुनर्वास से पूर्व अधिकारों को मान्यता/बन्दोबस्त के लिए वन अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 6 के प्रावधानों को पूर्ण करना आवश्यक है। वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र के भीतर व आस–पास के गाँवों के सम्बन्ध में वन अधिकार समितियों (एफ.आर.सी.), एस.डी.एल.सी. व डी.एल.सी. के गठन का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं होता है। स्थानीय संस्था 'कृपाविस' के सहयोग से ही कुछ एक गावों में समुचित प्रक्रिया को अपनाते हुए ग्राम सभा की बैठकें हुईं, जिनमें बहुमत के द्वारा वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है किन्तु प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

[7] अलवर ज़िले की वन कार्ययोजना (2012–13 से 2021–22) पृष्ठ 195–196।

7-4 i|uokl g|r| xfBr jkT; Lrjh; ,o ftyk Lrjh; lfefr ou vf/kdkj vf/kfu;e 2006 e fofgr lfefr;k dh fodYi ugh & एन.टी.सी.ए. के प्रोटोकॉल/दिशा–निर्देशों के तहत् गाँवों के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति तथा ज़िला स्तरीय क्रियान्वयन समिति को वन अधिकार अधिनियम के तहत् निर्धारित राज्य स्तरीय निगरानी समिति तथा ज़िला स्तरीय समिति के संगत नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों प्रकार की समितियों में सदस्यता की प्रकृत्ति पूरी तरह से भिन्न है।

गाँवों के पुनर्वास की निगरानी/क्रियान्वयन समितियों में प्रभावित ग्राम समुदाय एवं/अथवा पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तथा निर्णय लेने के सभी अधिकार सरकारी अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। ऐसा करना ग्राम सभा को वन अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुरूप न तो आधिकारिक शक्तियाँ सौंपता है और न ही उसमें वन अधिकारों की प्रक्रिया को निहित करता है।

7-5 oU; tho l|j{k.k vf/kfu;e] 1972 ,o ou vf/kdkj vf/kfu;e] 2006 e vu|dyrk dl\

वन अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 4(2) (क से ग) में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों के क्रिटिकल वन्य जीव आवासों में प्रदत्त वन अधिकारों में संशोधन या पुनःस्थापन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, बशर्ते कि वन्य जीव सरंक्षण के लिए अनुल्लंघनीय क्षेत्र बनाने से अधिकार प्राप्त लोगों के पुनर्वास एवं उनके अधिकार प्रभावित नहीं होते हों। सवाल यह है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं वन अधिकार अधिनियम के विभिन्न धाराओं एवं शब्दावली तथा उनकी व्याख्या की तुलना करने की आवश्यकता क्यों हुई?' क्यों शेष वन्य जीवन से अलग बाघ की पहचान करने तथा 'कोर या क्रिटिकल टाईगर आवास' और 'क्रिटिकल वन्य जीव आवास' के बीच अन्तर करने में 'अपनी' व्याख्या व्युत्पन्न करने की आवश्यकता हुई?

7-6 vf/kdkj ekU; & vekU;!

वर्तमान में पुनर्वास योजना के तहत् विस्थापित लोगों को उनका अधिकार प्रमाण–पत्र सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र के उप–वन संरक्षक द्वारा दिया जाता है, जो कि वन अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 4 व 6 का स्पष्ट उल्लंघन है।[8] वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा एवं उप–खण्ड स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन की उचित प्रक्रिया के उपरान्त अधिकारों की मान्यता का प्रमाण–पत्र ज़िला कलेक्टर के द्वारा जारी किया जायेगा।

यहां तक की एन.टी.सी.ए. के दिषा–निर्देषों के अनुसार पुनर्वास प्रक्रिया[9] के अन्तर्गत लाभार्थीयों को कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र देना विहित किया गया है, जिसकी अनुपालना भी नहीं हो रही है

7-7 i|uokl i|dt dk fodYi&2 ¼vf/kdkjk dk cUnkcLr& i|dt d eY; dk 30 ifr'kr½

यह स्पष्ट नहीं है कि जिला प्रशासन एवं वन विभाग ने पुनर्वास पैकेज के विकल्प–2 के तहत् अधिकारों की मान्यता में क्या प्रक्रिया अपनायी है। उक्त पैकेज में अधिकारों की मान्यता का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अतः इससे वन अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 4 के तहत् अधिकारों की मान्यता प्रदान करने में विफलता या उसको नज़रअंदाज़ करना सिद्ध होता है।

8- ck?k&i;Vu cuke ou fuokfl;k dk foLFkkiu

सरिस्का की बाघ संरक्षण योजना वन सम्पदा के विकास को लेकर गम्भीर व सक्रिय नहीं है। बल्कि यह

---

[8] अनुलग्नक–4 देखें (विस्थापित ग्रामवासियों को जारी मान्यता के प्रमाण–पत्र का नमूना)

[9] अनुलग्नक–5 देखें **xko d i|uokl dh ifØ;k dh lph ¼,u-Vh-lh-,- d fn'kk&funs'kk d vu|lkj½**

योजना राजस्व अर्जन के लिए रिज़र्व को टाईगर सफारी पार्क के रूप में विकसित करने को समर्पित है। स्थानीय वनवासी समुदायों को साथ लेकर रिज़र्व के सम्पूर्ण वन्य जीवन के संरक्षण एवं प्रबन्धन की बजाए सरकार द्वारा पर्यटकों को बाघों के 'दर्शन' कराने को सर्वोच्च महत्त्व दिया गया है।

बाघ पर्यटन को बढाने के लिए परम्परागत वन निवासी समुदायों को आवश्यक सामग्री लेने हेतु वन क्षेत्र से बाहर जाने एवं वापस गांव लौटने के दौरान व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। उनके परम्परागत आवागमन के मार्गों को बाधित किया जाता है एवं उनके मवेषियों को जब्त कर उनकी आजीविका से वंचित किया जाता है। यह सब उन्हे पुनर्वास/विस्थापन हेतु बाध्य करने के लिए किया जा रहा है।

9- ou vf/kdkj vf/kfu;e 2006 dh ikyuk ls lacf/kr vf/kdkfjd lwpuk@nLrkost+ksa dk vHkko & सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र की बाघ संरक्षण योजना में प्राधिकारियों ने जान–बूझ कर पुनर्वास योजना का ज़िक्र किया है तथा सम्बन्धित आधिकारिक अधिसूचनाओं का भी उल्लेख किया है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से गाँवों के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए आरक्षित वन क्षेत्रों में भू–उपयोग परिवर्तन की आधिकारिक अधिसूचनाओं को भी शामिल किया गया है। किन्तु, स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास के लिए ग्राम सभा से सहमति, विस्थापित लोगों के अधिकारों की मान्यता, वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम सभा, उप–खण्ड स्तरीय समिति व ज़िला स्तरीय समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण तथा ज़िला कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की मान्यता के प्रमाण–पत्र के बारे में आधिकारिक दस्तावेज़ों की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

10- ou foHkkx }kjk Økfrd oU; tho@O;k?k vkokl lfgr lajf{kr ou {ks=ksa esa ou vf/kdkj ij fojks/kkHkkl

वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 4(2) एवं वन अधिकार अधिनियम के संशोधन नियम, 2012 के नियम 12ख(11) में वर्णित स्पष्टीकरण से यह साफ है कि वन अधिकार (सामुदायिक वन संसाधन अधिकार) के दावे आरक्षित वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों में मान्य होंगे। अलवर के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ संरक्षित क्षेत्र में सामुहिक वन अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया लागू न करना वन अधिकार अधिनियम 2006 की अनदेखी व अवहेलना को प्रकट करता है।

पूरे देश में कई राज्यों जैसे कि उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल इत्यादि में संरक्षित वन्य जीव क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता दी गई है, लेकिन राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा वन विभाग को जनजातीय आयुक्त से भी ऊपर उठकर 'निर्णायक' बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

11- lg&vfLrRo ls gh cp ik,saxs tho&fofo/krk

गाँवों का पुनर्वास उनमें निवास करने वालों की सामाजिक एवं साँस्कृतिक गुणों के विपरीत है। ये ग्रामवासी सरिस्का के वन में बाघ के साथ सदियों से रह रहे हैं। हक़ीक़त तो यह है कि उनके मवेशी बाघ व अन्य बड़ी बिल्लियों के भोजन का बड़ा हिस्सा रहे हैं और स्थानीय निवासीयों ने आरंभ से ही उसे प्राकृतिक भोजन चक्र के रूप में स्वीकार किया है। स्थानीय निवासियों के सम्मिलित प्रयासों से जंगल के कुछ हिस्सों के संरक्षण के लिए उन्हें 'देव–वन' (देवता का वन) और 'ओरण' (पवित्र कुंज) के रूप में भी चिह्नित किया हुआ है। ऐसे अधिकतर पवित्र वनों में प्रजातियों की विविधता और वन्य जीवों की सुरक्षा अधिक है। यह समझ से परे है कि इन ग्रामवासियों को उनके अपने वन के विनाश के लिए कैसे ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो कि उनकी जीवन–रेखा है!

vr% vkil fuonu g fd mijkDr fcUnvk ij /;ku nr g, vko';d dk;kokgh dju dk d"V dj &

सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र से गांवों के पुनर्वास की बजाय उनके वन्य जीवों के साथ सह–असतित्व की ऐतिहासिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए वन अधिकार अधिनियम, 2006 की अनुपालना करवाने एवं जनजातियों को उनके पारम्परिक वन संसाधनों पर संवैधानिक अधिकार प्रदान कराने के लिए राज्य सरकार एवं सम्बन्धित विभागों को निम्नलिखित बिन्दुओं के सन्दर्भ में निर्देशित करें –

d- अलवर जिले में वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित प्रकिया का पालन करते हुए, सरिस्का में पुनर्वास की प्रक्रिया को रोककर, पहले वन अधिकार अधिनियम से संबंधित समितियों का ग्राम सभा, उपखण्ड स्तर एवं जिला स्तर तक वर्णित प्रावधानों के अनुसार गठन किया जाए एवं व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

[k- सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का शब्दशः पालन किया जाए एवं इसकी अनुपालना से संबंधित दस्तावेज एवं प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

x- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार {धारा 3(1)(प) एवं धारा 5} की दावा प्रक्रिया को प्रत्येक ग्राम सभा के स्तर पर आरम्भ करके पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

?k- राज्य वन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि क्राँतिक वन्य जीव/व्याघ्र आवास सहित संरक्षित वन क्षेत्रों में वन अधिकार मान्य हैं। यह तथ्य अन्य राज्यों में ऐसे क्षेत्रों के अन्तर्गत वन अधिकारों को मान्यता देने से स्वतः स्पष्ट है।

M- जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा क्रांतिक वन्य जीव आवास घोषित करने के लिए 29.09. 2007 को जारी दिशानिर्देर्शों के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समिति के गठन, ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव, ग्रामसभा को प्रस्तावित पुनर्वास योजना की प्रतिलिपि सोंपना, जन सुनवाई इत्यादि से संबंधित प्रावधानों की पालना से संबंधित दस्तावेज, पुनर्वास हेतु प्रस्तावित प्रत्येक गांव को उपलब्ध कराए जायें (गांव की वन अधिकार समिति को) एवं जिला प्रशासन की वेबसाइट तथा वन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराये जाए।

p. वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 'स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास योजना' में, पुनर्वास से पहले, ग्राम सभा द्वारा पुनर्वास योजना एवं वन अधिकारों के बन्दोबस्त की लिखित स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अनुपालना आपके मंत्रालय की निगरानी में सुनिश्चित की जाए।

N- वन विभाग द्वारा ग्रामसभा की स्वीकृति न मिलने की स्थिति में व्यक्तिगत स्वीकृति को मान्यता दी जा रही है, जो कि एन.टी.सी.ए. की स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास योजना के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए एवं पूर्व में ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

t- सरिस्का बाघ संरक्षित क्षेत्र से गांवों के पुनर्वास की प्रक्रिया में विस्थापित होने वाले परिवारों को पुनर्वास पैकेज के विकल्प–2 में दिए गए ''अधिकारों की मान्यता'' (कुल पैकेज का 30 प्रतिशत) से संबंधित भुगतान को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाए एवं दिए जाने वाले अधिकार पत्र में भी पैकेज का स्पष्ट विवरण हो। यह पूर्व में जारी किए गए पुनर्वास प्रमाण पत्रों में भी आवश्यक संशोधन के द्वारा अंकित किया जाए।

>- पुनर्वास पैकेज के विकल्प–2 में प्रत्येक पुनर्वासित परिवार से पैकेज का 10 प्रतिषत (राषि रू. 1 लाख) आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के नाम पर काटा जा रहा है। जबकि आधारभूत सुविधाएं पाना हर नागरिक का अधिकार है, जो सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए यह 1 लाख रू. की राषि पैकेज से नहीं काटी जानी चाहिए।

¥. पुनर्वास पैकेज–2 में एन.टी.सी.ए. के प्रावधानों के अनुसार भूमि (2 हैक्टर/ पैकेज का 35 प्रतिषत) की बजाय 6 बीघा दी जा रही है जिसके बारे में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए एवं दिए जाने वाले अधिकार पत्र में भी उसका विवरण लिखा जाए।

V- पुनर्वास पैकेज–2 में स्वीकृति देने वाले, राजस्व गांवों से जाने वाले परिवारों को उनकी राजस्व खातेदारी की जमीन के बदले बराबर जमीन का मुआवजा एवं अन्य अचल संपत्ति का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिससे विस्थापित होने वाले परिवारों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान झेलना पड रहा है।

B- सरिस्का के अन्दर पडने वाले राजस्व गांवों की कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट अनुपातिक रूप में बहुत कम है जिसका पुनर्निर्धारण किया जाना अति आवष्यक है और उसके अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाए।

M- पुनर्वास पैकेज विकल्प–2 के तहत जारी किये जाने वाले अधिकार पत्र में पैकेज में दी गई जमीन के मल्कियत/मालिकाना हक को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। यह राजस्व गांवों से राजस्व खाते की जमीन समर्पित करके आने वाले पुनर्वासित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है।

<- पुनर्वास पैकेज विकल्प–2 के अन्तर्गत आवंटित भूमि के आवश्यकतानुसार उपयोग की स्वतंत्रता दी जाए।

.k- पुनर्वासित होने वाले परिवारों को जारी किए जाने वाले अधिकार पत्र जिला कलेक्टर द्वारा ही जारी किये जाएं, जैसा कि एन.टी.सी.ए. एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में विहित है। (वर्तमान में अधिकार पत्र उपवन संरक्षक द्वारा जारी किये जा रहे हैं)।

r- राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि अलवर जिले मे वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सारी सूचनाएँ जारी की जाएँ, जिनमें मासिक प्रगति रिपोर्ट भी शामिल हों। भविष्य में सभी सूचनाओं को नियमित रूप से राज्य एवं जिला वैबसाईट पर अपडेट किया जाए।

Fk- बाघों के लिए अनुल्लंघनीय क्षेत्र की आवश्यकता एवं स्व–स्थानिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से पर्यटन सफारी बंद की जाए ताकि अंधाधुंध पर्यटन गतिविधियों से बाघों की दिनचर्या बाधित होने से बचे। परंपरागत वन निवासियों एवं बाघों के ऐतिहासिक काल से विद्यमान सह–अस्तित्व का सम्मान एवं वन अधिकारों की मान्यता सुनिश्चित की जाए।

vuyXud&1

lfjLdk ck?k lajf{kr {k= e Økfrd Ckk?k vkokl ¼fØfVdy Vkbxj gfcVkV½ d xko

Ø-l-	xko dk uke
1.	भगानी
2.	उमरी
3.	देवरी
4.	रोटक्याला
5.	डाबली
6.	काँकवाड़ी
7.	हरिपुरा
8.	किरास्का
9.	सुकोला
10.	कान्यावास
11.	नया कुण्डालका
12.	राईकामाला
13.	लीलुण्डा
14.	बेरावास
15.	नाँगलहेरी
16.	कालचरा
17.	कुशलगढ़
18.	माधोगढ़
19.	इन्दोक
20.	कुण्डालका
21.	मित्रावत
22.	राजोर
23.	गढ़
24.	डबकन
25.	लोज नाथूसर
26.	रायका
27.	पानीढाल
28.	दुहरमाला
29.	बेरा

lfjLdk ck?k lajf{kr {ks= ls xkaoksa ds iquokZl dh pj.kc) ;kstuk

o"kZ	xkao dk uke	izkFkfedrk dk dkj.k
2014—15	01. देवरी 02. डाबली 03. काँकवाड़ी 04. सुकोला 05. किरास्का 06. हरिपुरा	बाघ के वर्तमान इलाके का हिस्सा हैं। सभी गाँवों के पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है।
2015—16	07. कुण्डालका—सरुण्डा 08. रायकमाला 09. लीलुण्डा 10. कन्यावास 11. नया कुण्डालका 12. पानीढाल 13. बेरा	बाघ के वर्तमान इलाके का हिस्सा हैं और प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास की आवश्यकता है।
2016—17		उपर्युक्त 13 गाँवों के पुनर्वास की प्रक्रिया को पूर्ण करना।
2017—18	14. मित्रावत 15. रायका 16. डबकन 17. लोज नाथूसर 18. दुहरमाला	वर्तमान बाघों के शावकों के इलाके का हिस्सा बनेंगे।
2018—19	—	उपर्युक्त गाँवों के पुनर्वास की प्रक्रिया को पूर्ण करना।
2019—20	19. इन्दोक 20. रजोर—माण्डलवास 21. माधोगढ़ 22. गढ़	वर्तमान बाघों के शावकों के इलाके का हिस्सा बनेंगे।
2020—21	—	उपर्युक्त गाँवों के पुनर्वास की प्रक्रिया को पूर्ण करना।
2021—22	23. कुशलगढ़ 24. नाँगलहेरी 25. कालचर 26. बेरावास	वर्तमान बाघों के शावकों के इलाके का हिस्सा बनेंगे।
2022—23	—	उपर्युक्त गाँवों के पुनर्वास की प्रक्रिया को पूर्ण करना।
2023—24	—	उपर्युक्त गाँवों के पुनर्वास की प्रक्रिया को पूर्ण करना।

स्रोत— सरिस्का बाघ संरक्षित क्षेत्र की बाघ संरक्षण योजना (2014—15 से 2023—24)

vuqyXud&3

xk¡o ds iquokZl dh ;kstuk dk izk:i ¼,u-Vh-lh-,- ds fn'kk&funsZ'kksa ds vuqlkj½

1. प्रस्तावना
    - 1.1 टाईगर रिज़र्व का नाम
    - 1.2 गाँव का नाम
    - 1.3 गाँव का कुल क्षेत्रफल
    - 1.4 कानूनी स्थितिः राजस्व/वन/अन्य श्रेणी
    - 1.5 सारांश
        - 1.5.1 परिवारों की संख्या (वर्गवार)
        - 1.5.2 कुल मानव आबादी
        - 1.5.3 कुल पशुधन की संख्या
        - 1.5.4 पुनर्वास के लिए प्रस्तावित स्थल (विकल्प–2 की स्थिति में)
        - 1.5.5 प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल एवं कानूनी स्थिति
        - 1.5.6 कुल आवंटन की आवश्यकता
2. चिह्नित परिवारों का विवरण
3. **vf/kdkjksa ds cUnkscLr ls lEcfU/kr fooj.k**
4. प्रदत्त प्रोत्साहनों का विवरण
5. पुनर्वास के लिए प्रस्तावित स्थल (विकल्प–2 की स्थिति में) का वर्णन, मानचित्र में आवासीय भूमि, मकान एवं सामुदायिक सुविधाओं को दर्शाते हुए
6. **iquokZl LFky ij izLrkfor dk;ksZa dk fooj.k**
    - 6.1 कृषि भूमि (ख़रीद/विकास)
    - 6.2 परिवहन
    - 6.3 आवास निर्माण
    - 6.4 चारागाह/ लकड़ी उपज क्षेत्र
    - 6.5 पहुँच के लिए सड़क
    - 6.6 सिंचाई
    - 6.7 पेयजल की सुविधा
    - 6.8 स्वच्छता
    - 6.9 विद्युत
    - 6.10 संचार
    - 6.11 सामुदायिक केन्द्र
    - 6.12 धार्मिक स्थल
    - 6.13 श्मशान/कब्रिस्तान
7. अन्य सम्बद्ध विवरणः
    - **7-1 ou lalk/kuksa rd igq¡p**
    - 7.2 सिंचाई की सुविधाओं तक पहुँच
    - 7.3 आँगनवाड़ी/स्कूल तक पहुँच
    - 7.4 चिकित्सालय तक पहुँच
    - 7.5 राशन की दुकान तक पहुँच
    - 7.6 संचार की सुविधाओं तक पहुँच
8. आजीविका को सहारा एवं सम्बलन
9. शिकायतों के निवारण की प्रणाली
10. निगरानी एवं मूल्यांकन (राज्य स्तर)
11. लागत तालिका एवं चरणबद्धता

foLFkkfir xkeokfl;ksa dk tkjh vf/kdkj&i= dk uewuk

कार्यालय उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का

क्रमांक/ 12474 दिनांक 8/9/11

—: अधिकार पत्र :—

बाघ परियोजना सरिस्का में बसे गांव/गुवाडों के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिये मौजपुर रूंध, तह0 लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में 181.97 हैक्ट0 आरक्षित वन भूमि (राजस्व खसरा नं0 4, 5, 6, 7, 8, 9) चिन्हित की जाकर भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ 8–141/2006–एफसी दि0 29.04.08 से उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हुई है। विस्थापन के संबध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–11(2) वन/99 दिनांक 02.11.02 एंव भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.04.08 द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं जिला विस्थापन समिति की बैठको में लिए गए निर्णयो की पालना करते हुये **श्री सुल्तान पुत्र ख्याली गूर्जर** के गांव उमरी से विस्थापित होने की एवज में मौजपुर रूंध तहसील लक्ष्मणगढ़ में 60'x 90' = 5400 sq.ft. का आवास के लिए आवासीय भूखण्ड व 6 बीघा भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित की जाती है। जिसका आवास भूखण्ड मय कृषि भूखण्ड सं0 27 है। उक्त भूमि का मानचित्र एवं माप पुष्ठ पर अंकित है। मानचित्र अनुसार सीमा विवरण निम्नानुसार है:–

उत्तरी सीमा AB	– 159.40 मीटर	सीमा से लगता हुआ	रोड़
पश्चिमी सीमा BC	– 97.37 मीटर	सीमा से लगता हुआ भूखण्ड सं0	सड़क/31
दक्षिणी सीमा CD	– 164.40 मीटर	सीमा से लगता हुआ भूखण्ड सं0	21
पूर्वी सीमा DA	– 45.74+51.83 मी.	सीमा से लगता हुआ	28, 29

उक्त आवंटन निम्न शर्ताधीन किया जाता है:–

1. इस वन भूमि को आंवटी स्वयं व परिवार के निवास एवं कृषि कार्य एवं पशुओ के लिये चारा उगाने के लिये ही उपयोग में ले सकेंगे। इस भूमि को उक्त कार्य हेतु आवंटी को निरन्तर उपयोग में लेने की अनुमति रहेगी। आंवटी के स्वंय के द्वारा ही कृषि कार्य करना अनिवार्य होगा।
2. उक्त भूमि पर सिचांई हेतु कुआं, टैंक के अतिरिक्त अन्य स्थाई ढांचा नही बनाया जावेगा।
3. इस भूमि का विक्रय नही किया जा सकेगा। यह भूमि उत्तराधिकार के द्वारा ही हस्तान्तरित होगी।
4. उक्त शर्तो का उल्लंधन करने पर आवंटन निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

उप वन संरक्षक
बाघ परियोजना सरिस्का

चित्र साभार– चैलेंज बैलेन्स 2012: रिपोर्ट– ब्रोकन प्रॉमिसेज़, सेण्टर फॉर साइन्स एण्ड एनवायरमेण्ट। http://www.cseindia.org/challenge_balance2012/broken_promises.htm

xko d iuokl dh ifØ;k dh lph ¼,u-Vh-lh-,- d fn'kk&funs'kk d vulkj½

pj.k	gk@ugh	
1	कोर/क्रिटिकल आवास की अधिसूचना? यदि हाँ, तो अधिसूचना की प्रतिलिपि	
	गाँव की स्थिति टाईगर रिज़र्व के कोर एरिया में होने का प्रमाण–पत्र	
	ग्रामवासियों, ग्राम सभा से प्राप्त सहमति	
	सर्वेक्षण एवं मूल सूची (मास्टर लिस्ट)	
	vf/kdkjk dk vfHkys[k	
	ज़िला प्रशासन की भागीदारी से तैयार ग्राम पुनर्वास प्रस्ताव	
	पुनर्वास के लिए तैयार की गई विस्तृत योजना लाभार्थियों की स्वैच्छिक सहमति के आधार पर तैयार होने का प्रमाण–पत्र	
	पुनर्वास पूर्ण होने की अनुमानित समय सीमा	
2	ज़िलाधीश समिति का गठन	
	अन्तिम तिथियाँ	
	समिति के द्वारा अधिकारों एवं सम्पत्ति का मूल्याँकन	
	विकल्प–2 की स्थिति मेंः जहाँ पुनर्वास की भूमि वन–भूमि हो, वहाँ के लिए इस मन्त्रालय के एफ.सी. डिविजन से स्वीकृति की प्रतिलिपि, तथा एफ.सी. की नियम व शर्तों की पालना होने का प्रमाण–पत्र	
	ज़िला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन	
3	लाभार्थी एवं उनके पति/पत्नी का संयुक्त खाता खोलना	
	संयुक्त खाते में राशि जमा होना, लाभार्थी को सावधि जमा योजना, पासबुक सहित	
	ou foHkkx ,o ykHkkFkh d e/; le>kSrk Kkiu ¼,e-vks-;w-½	
	ykHkkfFk;k dh O;fDrxr Qkby jf[kt dk;ky;] Vkbxj fjtoZ ,o dyDVj dk;ky; e gkuk	
	ykHkkfFk;k dk dyDVj }kjk iek.k&i=	
	सम्बलन प्रक्रियायें एवं निगरानी समिति	